



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-22/2016-554 दिनांक : 19.06.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल,
राँची/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल,
सिमडेगा/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/सरायकेला वन प्रमण्डल/
जमशेदपुर वन प्रमण्डल/दुमका वन प्रमण्डल/साहेबगंज वन प्रमण्डल/
जामताड़ा वन प्रमण्डल

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर
वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत
अयकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, वनभूमि पर वृक्षारोपण तथा शीघ्र बढ़ने वाले पौधों
का रोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए कुल **रु0 36.306 लाख**
(छत्तीस लाख तीस हजार छः सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप
आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-22/2016-55/स्वी0, व0प0 राँची
दिनांक 17.01.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-
22/2016-21/आ0 व0प0 दिनांक 16.05.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-
वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र
उपयोजना, उप शीर्ष-58 अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत
वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 36.306 लाख** (छत्तीस
लाख तीस हजार छः सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया
जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	31.463
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	4.843
कुल :-		36.306

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (ग) पर
वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अकित कार्यों की राशि से अपने-अपने
कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति
प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से (ग) पर
तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

(Handwritten signature)

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601796580103, 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।
6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।
7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
10. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

13. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

14. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-22/2016-554 दिनांक-19.06.2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ जमशेदपुर/ दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ जमशेदपुर/ दुमका/ देवघर/ इनविस सेंटर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-22/2016-554 दिनांक-19.06.2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ जमशेदपुर/ सिमडेगा/ चाईबासा/ सरायकेला-खरसावाँ/ दुमका/ साहेबगंज/ जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 249.83 रु० प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. अथवा 2 मी. X 2 मी. अथवा 3 मी. X 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) सम्पोषण कार्य (वतुर्थ वर्ष)							
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	14.00	3497.62	0.00	3497.62	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3037.93		3037.93	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	2.00	499.66	176.00	675.66	
योग :-			28.16	7035.21	961.00	7996.21	

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम- वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

मजदूरी दर : 249.83 रु० प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) सम्पोषण कार्य (वतुर्थ वर्ष)							
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे०	23.00	5746.09	0.00	5746.09	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	12.16	3037.93	0.00	3037.93	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	749.49	290.00	1039.49	
योग-			38.16	9533.51	1590.00	11123.51	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2 (ग)


वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी० X 2 मी०

मजदूरी दर : 249.83 रु० प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	35.00	8744.05	0.00	8744.05	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	1962.50	1962.50	
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3037.93		3037.93	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	5.00	1249.15	176.00	1425.15	
योग :-			52.16	13031.13	2138.50	15169.63	


प्रधान मुख्य-वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

साल, तिथि व वर्ष 2019-20 में व्यवहृत निम्नलिखित दस्तावेज वगैरह सीई के समान अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-22/2016/554

दिनांक - 19-Jun-2

क्रमांक	विषय कोड	एकरीस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिभूतित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेलन एवं भले 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31664	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO, RANCHI FOREST DIVISION RA	211,100.00 रुपये दो लाख प्यारह हजार एक सौ
2	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिभूतित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेलन एवं भले 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31665	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	281,400.00 रुपये दो लाख इक्कसवीं हजार चार सौ
3	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिभूतित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेलन एवं भले 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31666	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADIYAPUR JSR.	211,100.00 रुपये दो लाख प्यारह हजार एक सौ

703,600.00

योग:

अंतिम योग:

रुपये सात लाख तीन हजार छः सौ

SHRI VIRENDRA SINGH GAUR (P.B.)
DFO, DEV. JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवस्थापक	आवंटित राशि
4	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिभूतित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेलन एवं भले 03 - मजदूरी State Scheme	31667	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	281,400.00 रुपये दो लाख इक्क्यासी हजार चार सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिभूतित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेलन एवं भले 03 - मजदूरी State Scheme	31668	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	281,400.00 रुपये दो लाख इक्क्यासी हजार चार सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिभूतित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेलन एवं भले 03 - मजदूरी State Scheme	31669	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	526,100.00 रुपये पचास लाख सत्तीस हजार एक सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

1,088,900.00

क्रमिक कोड:

रुपये स प ङ लाख अठानवे हजार पचास सौ

1,792,500.00


(RAJENDRA SINGH GAUR (FS))
FCF DEV. PARKHARD RANCH

क्रमांक	विषय कोड	एकरोस नं	निकासी एवं स्वयं वदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिभूतित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पुनरोपवन 01 - वेतल एवं मले 03 - मजदूरी State Scheme	31670	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	286,000.00 रुपये दो लाख त्रियासी हजार
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
8	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिभूतित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पुनरोपवन 01 - वेतल एवं मले 03 - मजदूरी State Scheme	31671	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA.	286,000.00 रुपये दो लाख त्रियासी हजार
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
9	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिभूतित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पुनरोपवन 01 - वेतल एवं मले 03 - मजदूरी State Scheme	31672	SBJFOR001 MAHALING DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	390,900.00 रुपये तीन लाख नब्बे हजार नौ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग: 962,900.00

क्रमिक योग: रुपये सलाइस लाख पचपन हजार छह सौ 2,755,400.00


(MR. VIKRAM SINGH DAUR (FS))
PCOP DEV. JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्यवस्थापक पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796580103 2406 - बागवानी तथा वन्य प्राणी 01 - बागवानी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिवृक्षित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बैसन एवं जल 03 - मजदूरी State Scheme	31673	JMTFOR001 SUSHIL SOREN, D.F.O. JAMTARA	390,900.00 रुपये तीन लाख नब्बे हजार नौ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
11	S 19 240601796580323 2406 - बागवानी तथा वन्य प्राणी 01 - बागवानी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिवृक्षित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	31674	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO, RANCHI FOREST DIVISION RA	28,800.00 रुपये अठाइस हजार आठ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
12	S 19 240601796580323 2406 - बागवानी तथा वन्य प्राणी 01 - बागवानी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिवृक्षित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	31675	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO, SOCIAL FORESTRY DIV, RANCHI	38,400.00 रुपये अठतीस हजार चार सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

458,100.00

क्रमिक योग:

रुपये बत्तीस लाख तेरह हजार चौंस सौ

3,213,500.00

(SRI VIKRAM BINGH GAUR (FS))

PCCF, DEV. JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकड़ों में	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601796580323 2406 - बागवानी तथा वन्य प्राणी 01 - बागवानी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिवृक्षित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - अनुदान एवं सामग्री State Scheme	31678	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	28,800.00 रुपये अठ्ठाईस हजार आठ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
14	S 19 240601796580323 2406 - बागवानी तथा वन्य प्राणी 01 - बागवानी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिवृक्षित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - अनुदान एवं सामग्री State Scheme	31679	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	38,400.00 रुपये अठ्ठाईस हजार चार सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
15	S 19 240601796580323 2406 - बागवानी तथा वन्य प्राणी 01 - बागवानी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिवृक्षित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - अनुदान एवं सामग्री State Scheme	31680	SGHFOR001 SRI, LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	38,400.00 रुपये अठ्ठाईस हजार चार सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

105,600.00

ग्रामिक योग:

रुपये तीस लाख ऊन्नीस हजार एक सौ

3,319,100.00


J. K. SINGH (Gaur IPS)
PCCF, DEV. BARKHARD RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एन्ड्रोस नं	निकासी एवं व्यवस्थापक पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिवृक्षित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यवस्था 23 - जापूति एवं सामग्री State Scheme	31681	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	87,700.00 रुपये सित्वासी हजार सात सौ
State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA				
17	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिवृक्षित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यवस्था 23 - जापूति एवं सामग्री State Scheme	31682	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRMJSR.	47,700.00 रुपये सित्वासीस हजार सात सौ
State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA				
18	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिवृक्षित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यवस्था 23 - जापूति एवं सामग्री State Scheme	31683	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	47,700.00 रुपये सित्वासीस हजार सात सौ
State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA				

योग:

183,100.00

कृषिक योग:

रुपये पैंतीस लाख दो हजार दो सौ

3,502,200.00

(SRI VINAYAK SINGH GAUR IFS)

POOF DEV JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवहन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601796580323 2406 - बागवानी तथा वन्य प्राणी 01 - बागवानी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपपोजना 58 - अधिभूतित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक खर्च 23 - अपूर्ण एवं सामग्री State Scheme	31684	SBJFOR001 MAHALING DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	64,200.00 रुपये चौसठ हजार दो सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
20	S 19 240601796580323 2406 - बागवानी तथा वन्य प्राणी 01 - बागवानी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपपोजना 58 - अधिभूतित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक खर्च 23 - अपूर्ण एवं सामग्री State Scheme	31685	JMTFOR001 SUSHIL SOREN, D.F.O. JAMTARA	64,200.00 रुपये चौसठ हजार दो सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

128,400.00

क्रमिक योग:

रुपये छत्तीस लाख तीस हजार छः सौ

3,630,600.00


JAI PRAKASH SINGH GAUR (FS)
PCCF, DEV. JHARKHAND RANCH